



**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड**  
**(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)**  
**14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ**  
**CIN-U32201UP1999SGC024928**

**संख्या : 1261—पै०एवंआर०—२८ / पाकालि / १९—१०८—पै०शन—३१ / ९०(TC- ॥ ॥), दिनांक 26 अक्टूबर, 2019**

**निदेशक,  
पै०शन निदेशालय,  
इन्दिरा भवन,  
लखनऊ**

**निदेशक,  
कोषागार,  
कोषागार निदेशालय,  
लखनऊ**

**निदेशक,  
वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,  
जवाहर भवन,  
लखनऊ**

**विषय : उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंगो एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों तथा केस्को, कानपुर के पै०शनरों/पारिवारिक पै०शनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पै०शन/पारिवारिक पै०शन पर दिनांक 01 जुलाई, 2019 से महँगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उ०प्र० राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पै०शनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पै०शन/पारिवारिक पै०शन पर दिनांक 01 जुलाई, 2019 से महँगाई राहत की एक और किश्त 05 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या—29—2019 / सा—३—७८९ / दस—२०१९—३०१ / २०००टीसी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पै०शनरों को अनुमन्य महँगाई राहत में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पै०शन पर अनुमन्य महँगाई राहत की दर दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 12 प्रतिशत से बढ़कर 17 प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिंगो एवं उसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों, केस्को सहित के पै०शनरों/पारिवारिक पै०शनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से देय पुनरीक्षित पै०शन/पारिवारिक पै०शन पर महँगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	महँगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महँगाई राहत की देय किश्त की दर	महँगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
1	01 जुलाई, 2019	05 प्रतिशत	17 प्रतिशत

- 2— महँगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- 3— दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पै०शन पर भी उपर्युक्तानुसार महँगाई राहत अनुमन्य होगी।
- 4— पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1054—डब्लू०सी० / रा०वि०प०(औ०सं० / उन्नीस)—14(23) एफ./.85, दिनांक 16 जून, 1988 में निर्गत आदेशानुसार पै०शन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- 5— महँगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

**भवदीय,**

**(ए०के० पुरवार)  
निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०)**

संख्या—1261( )पै०एवंआर०—28 / पाकालि / 19, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित—

1. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को—कानपुर / द्रान्सको, लखनऊ।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता / मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / विद्युत वितरण कम्पनियां।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
10. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
12. ✓ अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या—407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

४३/२६.१०.११  
(सैयद आरिफ हैदर)  
अनु सचिव(पै०एवंआर०)